Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 2 | November 2025 - April 2026 | pp. 101-106

राजनीतिक संदर्भ में लैंगिक समानता : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मंजू कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

शोध सारांश

राजनीति के क्षेत्र में समानता का महत्वपूर्ण स्थान है। लिंग, जाति, धर्म, स्थान इत्यादि के भेदभाव के बिना स्त्री-पुरुष को समान अवसर व निर्णयों में सहभागिता की समान भूमिका है। राजनीतिक समावेशन से लैंगिक समानता के क्षेत्र में सामाजिक विकास के नए आयामों की स्थापना संभव है। लैंगिक समानता के राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक अधिकार (मतदान), राजनीतिक नीतियाँ (आरक्षण), राजनीतिक विचार (पाश्चात्य एवं भारतीय विचारक) को शामिल किया गया है। लैंगिक समानता का विकास लोकतांत्रिक समाजों में हुआ है। लैंगिक संदर्भ में महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित रही है। इस शोध में द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है जैसे-पुस्तकें, सरकारी रिपोर्ट, राजनीतिक प्रकाशित सामग्री। इसमें वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक (भारतीय व पाश्चात्य संदर्भ) इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। इस शोध कार्य का उद्देश्य राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक समानता के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करना तथा समानता के क्षेत्र को व्यवहार में सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देना शामिल है। राजनीति में लिंग, जाति, धर्म, स्थान इत्यादि भेदभावों को समाप्त करते हुए स्त्री-पुरुषों को समान अवसर व नीति-निर्णयों में समान सहभागिता प्रदान करना है। लैंगिक समानता से जुड़े हुए क्षेत्रों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना है। हालांकि राजनीति में लैंगिक समानता अभी भी एक चुनौती है लेकिन सकारात्मक पहल से समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। राजनीति में लैंगिक समानता के अनेक विचारक है जैसे—प्लेटो, रूसो, मैरी वॉल्स्टनोक्राफ्ट, अम्बेडकर, मलाला युसफजई, अमृत्य सेन इत्यादि। समस्त विचारकों के योगदान से ही राजनीतिक आयाम लोकतंत्र को विकसित बनाता है। यह समावेशी विकास, सतत् विकास की अनिवार्यता का आधार है, जैसे—राजनीतिक अधिकार (मतदान), राजनीतिक नीतियाँ (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ) तथा नारीवाद इत्यादि।

संकेताक्षर—*समान अधिकार, राजनैतिक विचारक, महिलाओं की सहभागिता, कल्याणकारी समाज*

प्रस्तावना

समानता राजनीति का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें राजनीति के विभिन्न पहुलओं, नीति-निर्णयों तथा विचारकों का योगदान रहा। समानता एक अस्पष्ट विचार है, जिसके स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है। समय के साथ-साथ यह विस्तारित होता जा रहा है। समानता के सकारात्मक एवं सकारात्मक दो पक्ष है—सकारात्मक स्वरूप में समानता के अर्थों में भेदभावों को रोकना है तथा सकारात्मक अर्थों में समानता को सभी के लिए समान अवसर, समान निर्णय, समान भागीदारी इत्यादि का विस्तार करना है। प्राचीन काल से ही समानता को परिभाषित करने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ स्टोइक्स ने समानता पर बल दिया। प्लेटो के लिए समानता का तात्पर्य समान अवसर तथा समान अधिकार। मध्यकाल में सामन्ती युग था इसलिए असफलताओं को बढ़ावा मिला। ईसाई प्राचारकों ने समानता को सीमित कर दिया। आधुनिक युग में समानता को बढ़ावा मिला। सन् 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समानता,

ISSN 2348-3857

स्वतंत्रता व बंधुत्व का नारा दिया तथा समानता के स्वरूप में व्यापकता आई।

प्रो. डी.डी. रफेल के शब्दों में—"समानता के सिद्धान्त का आशय यह है कि सब लोगों को समान अधिकार है कि उनकी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि अवश्य हो।"[1]

लैंगिक समानता के राजनीतिक आयामों में राजनीतिक व कानूनी अधिकारों को शामिल किया गया है—राजनीतिक समानता का लक्ष्य ना केवल लैंगिक समानता से है बल्कि समाज का न्यायपूर्ण तथा हितकारी होना आवश्यक है। जेंडर समानता लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, जहाँ नीति निर्माण व नीति-क्रियान्वयन में महिलाओं के अवसर सुनिश्चित करने हैं। इतिहास में पितृसत्तात्मक समाज रहा है जहाँ पुरुष प्रभुत्व रहा है। महिलाओं को कानून-निर्माण, कानून क्रियान्वयन से दूर रखा गया, इसीलिए समानता की बजाय भेदभावों का विस्तार हुआ। जब भेदभावों का विस्तार हुआ तो जेंडर समानता का उदय हुआ और वर्तमान में अपने लक्ष्य प्राप्ति के निरन्तर प्रयास जारी है।

जेंडर समानता के निम्नांकित लक्ष्य है—

- महिलाओं की सक्रिय भागीदारी।
- महिलाओं द्वारा चुनाव लड़ना, नीति-निर्माण व नीतियों का लागू करना।
- समान अवसर प्रदान करना व लोकतांत्रिक भागीदारी।
- जेंडर बजटिंग व न्यायिक समाज को बढ़ावा देना।
- सक्रिय भागीदारी से मानवाधिकार की रक्षा।
- सामाजिक संवेदनशीलता को सभी क्षेत्रों में लागू करना।

लैंगिक असमानता का मुख्य कारण संसाधनों, अवसरों व पितृसत्ता के परिणामस्वरूप है। विश्लेषणात्मक अध्ययन में संवैधानिक अधिकार, आरक्षण नीति, चुनावी दल व भागीदारी, जेंडर बजट, सामाजिक न्याय इत्यादि प्रभावित करते हैं। जेंडर न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है अपितु समाज-संस्कृति के आधार में परिवर्तन आवश्यक है। राजनीतिक निर्णयों के सांस्कृतिक संवेदनशीलता देखी जा सकती है जो कि अत्यंत आवश्यक है। इतिहास के चक्र में लैंगिक समानता का विकास हुआ है। महिलाओं ने सैद्धान्तिक व व्यवहारिक भूमिकाएँ निभाई है तथा वर्तमान में निरन्तर क्रियाशील है।

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 व 18 तक मौलिक अधिकारों में समानता का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 व अनु. 42

उदाहरणस्वरूप—

अनुच्छेद-14—विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण।

अनुच्छेद-15—धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध।

अनुच्छेद-16—लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता

अनुच्छेद-17—अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद-18—विद्या या सेना संबंधी सम्मान के अलावा सभी उपाधियों पर रोक।

उदाहरणस्वरूप—"जहाँ तक विधि के समक्ष समानता की बात है तो अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि राज्य भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले भारतीय एवं विदेशियों को विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है जो डायसी के विधि के शासन या विधि या न्याय की अवधारणा पर आधारित है अर्थात् इसके द्वारा राज्य को प्रतिबंधित बनाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। यहाँ व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात् संवैधानिक नियम कम्पनियाँ पंजीकृत समितियाँ या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति समाहित होता है।"[2]

भारतीय संविधान में स्थानीय स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण को आरक्षण किया गया है ताकि समानता को पोषित किया जा सके। "राजनीतिक पार्टियों के संगठन या सत्ता के शीर्ष पर महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है, इन परिस्थितियों के मध्य नजर आज के संदर्भ में महिलाओं को राजनीति में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए तथा उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण एक बेहतर जरिया हो सकता है।"[3]

भारतीय संविधान के 243 अनुच्छेद के तहत भारतीय महिलाओं को आरक्षण कम से कम एक तिहाई दिया गया है। (अनुच्छेद-243डी)।

"73वें संविधान संशोधन के अधिनियम में उल्लिखित किया गया है कि स्थानीय शासन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जिनमें—

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित होंगे। ऐसे आरक्षित स्थानों का आवंटन स्थानीय शासन के प्रत्येक स्तर पर चक्रानुक्रम में होगा तथा इन आरक्षित स्थानों में से एक तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

2. इस संविधान संशोधन में प्रावधान है कि कोई भी राज्य विधान मण्डल अन्य पिछड़े वर्गों को किसी स्तर की पंचायतों में अथवा सभापति के पदों पर आरक्षण दे सकता है इस आरक्षण में भी इस वर्ग की महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों पर चक्रानुक्रम में आरक्षण होगा।

3. स्थानीय शासन के सभापति/अध्यक्ष के पदों पर राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप महिलाओं को आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति के अनुपात में पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पदों पर आरक्षण प्राप्त होगा जिसमें अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण में उनकी जाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित होंगे।"[4]

भारतीय संविधान के कानूनों में भी महिला-पुरुष समानता के कानूनों को बनाया गया है जैसे—हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 में बेटी व बेटों को समान पैतृक सम्पत्ति का अधिकार है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध ओर निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013 अधिकार व कानून समान है लेकिन भारत में आज भी समानता एक चुनौती है। 2025 की वर्ल्ड इकॉनोमिक फॉर्म रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वाँ है। अतः सुधार की आवश्यकता है।

विश्लेषण

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के प्रावधान व कानून काफी मजबूत आधारों के साथ शामिल किया गया है, हालांकि वास्तविकता में आज भी अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें प्रभावी क्रियान्वयन के साथ समाप्त किया जा सकता है ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव हो।

सरकारी नीतियों व योजनाएँ में लैंगिक समानता

नीतियों और योजनाएँ ही इस क्षेत्र को व्यवहारिक व विस्तारित करती है। प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं—

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, 2015—इस योजना से शिक्षा, जागरूकता, लिंगानुपात इत्यादि में सुधार हो रहा है।

2. बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत हेतु सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है।

3. जेंडर बजटिंग से महिलाओं के लिए पृथक स्वायत्तता आरक्षण इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जिससे महिला आत्मनिर्भरता से समृद्धि सुनिश्चित है।

4. पी.एम. उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत महिलाओं को गैस-सिलेण्डर दिए जा रहे हैं जो स्वास्थ्य, समय के अनुसार उचित है। इससे महिलाओं को स्वच्छता, सुरक्षा, धुएँ से दूरी इत्यादि लाभ हुए हैं।

5. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से महिलाओं में शक्ति आर्थिक सहायता एवं स्वच्छ पोषण में वृद्धि हुई है।

"सरकार की योजनाएँ जैसे—बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्टैंड-अप इंडिया और मातृत्व लाभ अधिनियम (2017) ने इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं, लेकिन इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सीमित है। विशेषज्ञों का मानना है कि लैंगिक समानता केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी जरूरी है।"[6]

ये ना केवल महिलाओं का सर्वांगीण विकास करते है, अपितु सम्मान व आत्मनिर्भर भाव भी व्यक्त होते हैं जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए शक्तिपूर्वक उचित साबित होते हैं। इन्हीं प्रयासों से महिलाओं को निरन्तर लाभ हो रहा है तथा लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव हो सकता है। भारत की सरकारी नीतियों में लैंगिक समानता का प्रभाव नजर आता है। जैसे स्थानीय शासन, उच्च स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण सकारात्मक परिणामों के लिए सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है।

राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में लैंगिक समानता

राजनीतिक सिद्धान्तों के केन्द्रीय बिन्दुओं में समानता में शामिल किया जाता है। सामाजिक और न्यायपूर्ण समाज के लिए सम्मानपूर्वक व्यवहार अनिवार्य है। समानता राजनीति में

आत्मनिष्ठ/व्यक्तिनिष्ठ विचार है अर्थात् भिन्न-भिन्न विचारक भिन्न-भिन्न अर्थों में इसको परिभाषित करते हैं। प्राचीनकाल के विचारकों के लिए समानता के अन्य अर्थ थे जबकि आधुनिक समय में इसके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं।

समानता की अवधारणा

"राजनीतिक सिद्धान्त के केन्द्र में है। बहुत ही सामान्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि समानता दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच उनके जीवन के कुछ पहलुओं से जुड़ा संबंध है। हालांकि समानता का विचार बहुत सरल नहीं है। इसलिए हमेशा बहुत स्पष्टता के साथ यह नहीं कहा जा सकता है कि किस तरह का संबंध होना चाहिए और यह संबंध किन के मध्य होना चाहिए।"[5] समानता की अवधारणा का विकास वर्तमान में सविस्तारित हो रहा है। न्याय, लोकतंत्र और सम्प्रभुता जैसे अवधारणाओं के समान ही समानता का विकास जारी है। इसके विकास में पाश्चात्य व भारतीय विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है जैसे—प्लेटो, जे.एस. मिल, वाल्स्टनोक्राफ्ट, अम्बेडकर और मलाला युसुफजई। विभिन्न विचारकों द्वारा अनेक विशेषताओं का उल्लेख किया गया तथा स्त्री-पुरुष समानता के राजनीति में विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इन पहलुओं के विश्लेषण से ही समानता के कई मानदण्डों से सार्वभौमिकता हासिल कर ली है। जैसे—समान कार्य-समान वेतन विशेषाधिकार, स्वायत्तता और आरक्षण इत्यादि। विभिन्न विचारकों के पक्षों द्वारा हम राजनीतिक रूप से समानता के पक्षों के महत्व को समझ जायेंगे। इसलिए विचारकों का अध्ययन आवश्यक है।

लैंगिक समानता के संदर्भ में प्लेटो के राजनीतिक विचार

राजनीतिक समानता के संदर्भ में प्लेटो के विचार अत्यंत विकसित थे। प्लेटो ने महिलाओं को पुरुषों के समान प्राकृतिक अधिकार, समान शासन, समान शिक्षा व समान कार्य करने के अधिकार दिए। हालांकि उनके विचार केवल संरक्षक वर्ग की महिलाओं के लिए समान थे। तात्कालीन समय में प्लेटो के विचार उपयुक्त थे।

"नर-नारियों का समान अधिकार—प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नारियों को घर की चार-दीवारियों से बाहर निकाल कर शिक्षा, शासन आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार देने की व्यवस्था करता है।"[7]

लैंगिक समानता के संदर्भ में मेरी वाल्स्टनोक्राफ्ट के राजनीतिक विचार

मेरी वाल्स्टनोक्राफ्ट को नारीवाद की जननी कहते हैं। उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक ही वो प्रवृत्ति है जो नारी-शोषण के लिए जिम्मेदारी है तथा शिक्षा का अभाव जो महिलाओं को पुरुषों से आगे नहीं बढ़ने देता। यदि महिलाओं को उन्नति करनी है तो उन्हें शिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि अपनी तार्किक क्षमता का विकास करे, जिससे नारियों की स्थिति में सुधार हो सकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि शोषण ना हो। महिलाओं को पुरुषों के समान व्यवहार हेतु मन, चरित्र एवं स्वतंत्रता आदि का विकास करना होगा।

भारतीय विचारकों के अनुसार लैंगिक समानता

लैंगिक समानता के संदर्भ में अम्बेडकर के राजनीतिक विचार

अम्बेडकर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जाति, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान जैसे भेदभावों को समाप्त कर समान मानवीय समाज की स्थापना के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति महिलाओं की स्थिति से समझी जा सकती है। अम्बेडकर के लैंगिक समानता पर मुख्य विचार हैं जैसे—संवैधानिक प्रावधान, सामाजिक कुरीतियों का अंत, कामकाजी महिलाओं के अधिकार (मातृत्व अवकाश), हिन्दू कोड बिल, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, तलाक के बाद भरण-पोषण का अधिकार, हिन्दू कोड बिल के पास ना होने पर उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

"डॉ. अम्बेडकर को इस बात की खुशी थी कि स्वतंत्र भारत में स्त्री वर्ग ने काफी प्रगति की है। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि—

- साफ रहना सीखो।
- अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ।
- बुराईयों से दूर रहो।
- बच्चों के अन्दर से हीन भावना को निकालो।
- उनमें महान आदर्शों का संचार करो।
- शादी-विवाह करने में शीघ्रता मत करो।

- उनके मस्तिष्कों में यह बात जमा दो कि उन्हें महान् बनना है और उनके लिए सर्वोच्च प्रगति का मार्ग खुला है।"[8]

भारतीय व पाश्चात्य विचारक लैंगिक समानता पर महत्वपूर्ण विचार देते हैं। भारतीय विचारक जहाँ समाज, नैतिक, सामूहिक कल्याण पर जोर देते हैं, वही पाश्चात्य विचारक व्यक्तिगत, स्वतंत्रता जैसे तर्कों पर बल देते हैं। दोनों के सामंजस्य से ही वैश्विक लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है।

सुझाव

लैंगिक समानता का राजनीतिक आयाम लोकतंत्र को विकसित बनाता है। यह समावेशी विकास, सतत विकास की अनिवार्यता का आधार है। विश्लेषणात्मक अध्ययन के सकारात्मक सुझाव निम्नांकित है—

- राजनीति दलों, संस्थाओं, संरचनाओं में आरक्षण।
- जेंडर बजटिंग व जेंडर संवेदनशीलता।
- समाज अवसर।
- प्रतिसत्तात्मक सोच में बदलाव।
- महिला समाज-सांस्कृतिक विस्तार।
- महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता।
- महिला-कानूनों का उचित क्रियान्वयन।
- लोकतांत्रिक व न्यायपूर्ण नियमों को लागू करना।

निष्कर्ष

लैंगिक समानता के राजनीतिक आयामः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन में सैद्धान्तिक, व्यवहारिक व समकालीन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत न्यायपूर्ण, सहभागी व समावेशी विकसित समाज का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में इसकी उपयोगिता ओर बढ़ गई है क्योंकि सैद्धान्तिक व व्यवहारिक दृष्टिकोणों में समन्वय आवश्यक है। सैद्धान्तिक पक्षों को व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करने से कल्याणकारी समाज की सुनिश्चितता आवश्यक है। इसमें भी सर्वव्यापी सुनियोजित, प्रभावी समाज की कल्पना की जा रही है। राजनीति के क्षेत्र में लैंगिक समानता एक न्यायसंगत समाज के लिए महत्वपूर्ण आधार है। पाश्चात्य देशों में नीतियों, योजनाओं, विचारकों के योगदान से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है वहीं भारत में अभी नीतियों के सफल क्रियान्वयन की आवश्यकता है ना केवल संविधान अपितु व्यवहारिक बदलाव आवश्यक है। सरकारी नीतियाँ लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पी.एम. मातृ वंदना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि से महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक पक्षों में सुधार हुआ है। हालांकि प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता, मानसिक परिवर्तन से महिला सशक्तिकरण व सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है।

"भारतीय राजनीति में महिलाओं के इस सीमित प्रतिनिधित्व के लिए और भी कई कारण जिम्मेदार है जैसे समाज में आरम्भ से ही लैंगिक असमानता का होना, उनके राजनीतिक नेटवर्क की कमी, उनकी वित्तीय कमजोरी आवश्यक संसाधनों की कमी आदि परन्तु एक सार्वजनिक महत्वपूर्ण कारक जो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में राजनीतिक शिक्षा की कमी।"[9]

भारत में महिलाओं की राजनीति पसंद बढ़ रही है। राजस्थान में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा संसद व विधानसभाओं व 106वाँ संविधान संशोधन 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के तहत 33 प्रतिशत सीटों (1/3) पर आरक्षण दिया गया है।

"लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के केन्द्र में ही समग्र मानवता का विकास छुपा है। लोकतंत्र किसी एक की सत्ता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है सत्ता में सबका योगदान, सबका सहयोग सभी का विकास एवं उन्नति में सबकी समान हिस्सेदारी हो। समानता एक सुन्दर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। हालांकि केन्द्र सरकार ने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए भी कहा है कि यह सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की संकल्पना के साथ काम करेगी।"[10]

संदर्भ सूची

1. पाल, शिवम्, राजनीतिक सिद्धान्त, वंदना पब्लिकेशन्स, द्वितीय तल, जे.एम.डी. हाउस, 4-बी, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, पृ.सं. 85
2. सिंह, जगदीप एवं कुमारी, मेघा, भारतीय संविधान, के.के. पब्लिकेशन्स, 4808/24, भारत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, पृ.सं. 62
3. भारती, निरंजन कुमार, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एण्ड गवर्नेंस, 2023, 5(1), पृ.सं. 95-96

4. गुप्ता, शालू, उपाध्याय, विक्रांत, भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में नीतियाँ एवं प्रगति, इन्टरनेशनल जनरल फॉर मल्टिडिसिप्लेनरी रिसर्च, (29.09.2025) वॉल्यूम-7, इश्यू-5 सितम्बर-अक्टूबर, 2025, पृ.सं. 1
5. निर्वाण, मैना, पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण, पाइंटर पब्लिकेशंस, व्यास बिल्डिंग, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003 (राज.), पृ.सं. 51
6. भार्गव, राजीव एवं आचार्य, अशोक, राजनीतिक सिद्धान्त एक परिचय, डॉर्लिंग किंडर स्लो (इंडिया) प्रा.लि. दक्षिण एशिया में पियर्सन एजूकेशन से लाइसेंसी, वर्ष 2013, पंचशील पार्क, नई दिल्ली, पृ.सं. 61
7. शर्मा, प्रभुदत्त, पाश्चात्य राजनीति विचारों का इतिहास (प्लेटो से मार्क्स), कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1999, पृ.सं. 61
8. चन्देल, धर्मवीर, मानवाधिकार नेहरू और अम्बेडकर, पाईन्टर पब्लिशर्स, व्यास बिल्डिंग, जयपुर, पृ.सं. 169
9. मीणा, मुरारी लाल एवं सोनवाल, प्रेम, भारत में सतत् विकास लक्ष्यः उपलब्धियाँ और चुनौतिया, राजस्थान पब्लिशर्स हाउस, जयपुर, 2022, पृ.सं. 88-89
10. मीणा, मुरारी लाल एवं सोनवाल, प्रेम, भारत में सतत् विकास लक्ष्यः उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ, राजस्थान पब्लिशर्स हाउस, जयपुर, 2022, पृ.सं. 88-89